

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/3026-3065 दिनांक 09/7/2020

कोषाधिकारी
समस्त।


विषय:- वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2020, 23.01.2020,
15.04.2020 एवं 26.06.2020 की पालना सुनिश्चित करवाने
के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2020,
23.01.2020 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किए
जाने पर परिपत्र दिनांक 26.06.2020 के अनुसार माह जुलाई 2020 देय अगस्त 2020 का
वेतन बिल आहरित नहीं हो पायेगा। अतः तदानुसार समस्त अधीनस्थ आहरण वितरण
अधिकारियों को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

www.rajteachers.com

भवदीय


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक